**भारत सरकार**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**सोमवार, 28 जुलाई, 2014, 6 श्रावण, 1936 (शक) अतारांकित प्रश्‍न सं. 2097**

**सड़कों पर पैदल चलने वालों के लिए जगह**

**2097. श्रीमती वानसुक साइम:**

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि वर्ष 2013 में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए 1600 लोगों में से 673 पैदल चलने वाले थे;

(ख) क्या दिल्ली के 13 प्रतिशत से भी कम नियमित यात्रियों को ढोने वाली कार और अन्य यात्री वाहन सड़कों का 90 प्रतिशत हिस्सा घेर लेते हैं;

(ग) क्या यह समय की मांग है कि सड़क निर्माण के लिए इण्डियन रोडस कांग्रेस के दिशा-निर्देशों में संशोधन करके पैदल यात्रियों के अधिकारों एवं आवश्यकताओं को अनिवार्य रूप से समाविष्ट किया जाए; और

(घ) क्या शहरों में जहां कहीं भी पैदल रास्ता मौजूद है उस पर अब बस पड़ावों, वेण्डरों और सार्वजनिक शौचालयों का अतिक्रमण है?

**उत्‍तर**

**सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(श्री कृष्‍णपाल गुर्जर)**

(क) दिल्‍ली पुलिस विभाग से प्राप्‍त सूचना के अनुसार वर्ष 2013 के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में 1820 लोग मारे गए थे जिनमें से 749 लोग पैदल पथ यात्री थे ।

(ख) इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता ।

(ग) वर्ष 2012 में आईआरसी:103-2012 को संशोधित किया गया है और यह विशिष्‍ट रूप से ‘पैदल पथ यात्रियों की सुविधा के मार्ग निर्देश’ से संबंधित है जिसमें शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में सड़कों पर पैदल पथ यात्रियों की सुविधाओं के इंजीनियरी डिजाइन और आयोजना तथा सड़क पार करने के विभिन्‍न पहलू शामिल किए गए हैं । विद्यालय, पार्किंग स्‍थल और ट्रांजिट क्षेत्रों जैसे विशेष स्‍थानों को भी पैदल पथ यात्री सुविधाओं में शामिल किया गया है । पैदल पथ यात्री सुरक्षा संपरीक्षा से संबंधित मुद्दों का सड़क सुरक्षा संपरीक्षा से संबंधित आईआरसी:103-2012 में भी उल्‍लेख किया गया है ।

(घ) इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आंकड़ों का संकलन नहीं किया जाता ।

\*\*\*\*\*